भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2045
उत्तर देने की तारीख : 11.03.2025

दिव्यांगजनों हेतु वित्तीय सहायता योजना

2045. श्री दुलू महतो:
सुश्री कंगना रनौत:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि नि:शक्त व्यक्ति सरकारी पहलों के अंतर्गत वित्तीय सहायता योजना तक आसानी से पहुंच सकें;

(ख) सरकार द्वारा रोजगार मेलों के अलावा नि:शक्त व्यक्तियों की दीर्घकालिक नियोजनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ग) क्या झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राजसहायता-प्राप्त वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के दायरे का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को पारित किया था जो दिनांक 19.04.2017 को प्रभावी हुआ था। दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों को अधिकार और हकदारियां प्रदान की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, समानता का अधिकार, गैर-भेदभाव, क्रूरता और शोषण से बचाव, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहुंच, मतदान तक पहुंच, विधिक क्षमता, विधिक संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, कला, खेल, मनोरंजन, संस्कृति तक पहुंच तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी शामिल हैं।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि दिव्यांगजन इस पहल के तहत आसानी से वित्तीय सहायता योजनाओं तक पहुंच सकें। इनमें शामिल हैं:-

- सरलीकृत और सुगम्य आवेदन प्रक्रिया - ऑनलाइन विकल्पों को उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुगम्य बनाया गया है।

- समर्पित सहायता केंद्र - दिव्यांगजनों की सहायता के लिए विशेष सहायता डेस्क और सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- सुगम्य अवसंरचना - सरकारी कार्यालयों और वित्तीय सेवा केंद्रों में पहुँच को आसान बनाने के लिए रैंप, लिफ्ट और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- डिजिटल पहुँच - वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन को स्क्रीन-रीडर के अनुकूल और सहायक तकनीकों के अनुकूल बनाया गया है।
- जागरूकता अभियान - दिव्यांगजनों को उपलब्ध योजनाओं और आवेदन करने के तरीके के बारे में सूचित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पहल का कार्यान्वयन - इसका उद्देश्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी और लाभ सीधे पहुंचना सुव्यवस्थित करना है।
- समर्पित हेल्पलाइन - टोल-फ्री नंबर और सहायता दल आवेदन प्रक्रिया के दौरान सहायता प्रदान करते हैं।

(ख) : दिव्यांगजनों की दीर्घकालिक रोजगार क्षमता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने रोजगार मेलों के अलावा, कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:-

- कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राष्ट्रव्यापी सूचीबद्ध सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के माध्यम से 15-59 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों के बीच कौशल, रोजगार प्राप्त करने की क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये वर्ष 2015 में दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) शुरू की थी । कौशल और रोजगार के प्रयासों को कारगर बनाने के लिए सितंबर 2023 में, पीएम-दक्ष पोर्टल-डीईपीडब्ल्यूडी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया था। इसमें दो मॉड्यूल शामिल हैं: दिव्यांगजन कौशल विकास - कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, और दिव्यांगजन रोज़गार सेतु, जो भारत में निजी कंपनियों में जियो-टैग किए गए रोजगार के अवसरों से दिव्यांगजनों को जोड़ता है। नौकरी संबंधी कौशल और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण – दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 में बेहतर रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेंचमार्क (40% या उससे अधिक) दिव्यांगता वाले

व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 32 में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण का प्रावधान है। विभाग ने बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण नीति को प्रभावी और समान रूप से लागू किया जाए। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 37 गरीबी उन्मूलन और विकासात्मक योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण सुनिश्चित करती है।

- स्वरोजगार सहायता - स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी वाले ऋण, अनुदान और प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। इस विभाग के अंतर्गत नेशनल दिव्यांगजन फाईनैन्स एंड डिवैलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी) दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है। एनडीएफडीसी की प्रमुख योजनाओं में दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई) शामिल है, जिसके अंतर्गत आय सृजन गतिविधियों, उच्च शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण, सहायक उपकरणों की खरीद के लिए रियायती ब्याज दर पर 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, और विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई) के अंतर्गत छोटे/सूक्ष्म व्यवसाय और विकासात्मक गतिविधियों के लिए त्वरित और आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान करने के लिए उचित ब्याज दर पर 60,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

- दिव्यांग विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने तथा विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए निःशुल्क कोचिंग।
- समावेशी कार्यस्थल नीतियाँ - समावेशी हायरिंग और कार्यस्थल पर आवास को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और दिशानिर्देश लागू किए जाते हैं।

(ग) और (घ) : झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए समग्र सुधार वाले और अधिक समावेशी, समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा वित्तीय सहायता योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

****